न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अभिलाषा, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 230/2015

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरजगढ

..........प्रार्थी

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी रायला।
2. मुकेश कुमार मांगेलाल जाति ब्राहमण निवासी ढाणी श्यामा तहसील लुहारू हरियाणा।
3. विजेन्द्र सिंह पुत्र जसवन्त जाति राजपुत निवारसी खेड़ला।
4. सुभाषचन्द्र पुत्र श्योदानराम जाति जाट निवासी रायला।

...............अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

::निर्णय::

दिनांक 5/3/2021

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि–

1. यह है कि प्रार्थी ने उक्त उनवानी प्रकरण का वाद पत्र श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है जिसमें प्रार्थी के सफल होने का पुरा –पुरा अदेंशा है।
2. यह है कि भूमि हाल खसर नम्बर ... 2.45 है. मौजा खेड़ला में स्थित है। उक्त आराजी का ... (लेक्ड हौल्डर) है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:31:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

Scanned with CamScanner

अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 खसरा नम्बर 87 के खातेदार काश्तकार है।

3. यह है कि अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 4 ने मिलकर जमीन वर्णित धारा 2 प्रार्थना पत्र में से 1.50 है. भूमि को कृषि के रूप में काम न लेकर उक्त जमीन को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए किस्म परिवर्तित कर इस खसरा नम्बर की भूमि का गैर कृषि कर अवैध रूप से पक्की डामर की सड़क बनाकर एवं प्लाटिग के पत्थर लगाकर इस खसरा नम्बर की भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है। जिसका अप्रार्थीगण / अनावेदकगण को कोई हक नही है। अप्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी कानुन के प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तो को भंग किया है। बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है। जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआं है।

4 प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र से अनुतोष चाहा कि–

(क) अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि तादौश्रान दावा अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जावे कि मौजा खेड़ला की भूमि खसरा नम्बर 87 रकबा 2.45 है. को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाऐं किसी प्रकार से अकृषि (प्लाटिंग) के रूप में उपयोग में ना लेवे, ना ही प्लाटिंग के रूप में किसी को विक्रय कर खुर्द–बुर्द ही करें व ना ही रहन करे, मौके पर यथास्थिति बनाये रखे ।

5. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण की सम्यक तामिल होकर प्राप्त हुई। अप्रार्थी सं0 1 से 4 की ओर से जबाब प्रार्थना पेश किया गय

6. अप्रार्थी सं0 1 से 4 की ओर से जबाब कर पेश किया है कि अप्रार्थी भूमि खसरा नम्बर 87 कुल रकबा 2.45 है. कोई परिवर्तन नही रखा है। अप्रार्थी ने भूमि खसरा नम्बर 87 में कोई सिमेंटेंड रोड़ व पीलर नही कर रखा है। तथा ना ही कोई निर्माण कार्य कर रखा है। अप्रार्थी ने उक्त भूमि में कोई प्लांटिग नही कर रखी है। अप्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों व टिनेन्सी की शर्तो को भंग किया एवं बिना सहपरिर्वत के आदेश के भूमि कि किस्म परिवर्तन किया है। अप्रार्थी ने भूमि में कोई किस्म परिवर्तन किया है। तथा ना ही राजस्थान काश्तकारी अधिकार को राजस्व हानि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:31:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

नुकसान नही किया है। राजस्थान सरकार को किसी प्रकार की कोई हानि नही पहुंचाई है ना ही राजस्थान काश्तकारी की शर्तो का कोई उल्लधंन नही किया है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थन पत्र खारीज किया जाने योग्य है। अप्रार्थी भूमि का रूपान्तरण करवाने के किये बाध्य रहेंगा। अप्रार्थीगण भूमि का रूपान्तरण करवा लेगा। दिनांक 09.09.2015 को पटवारी हल्का ने उक्त भूमि की जांच रिपोर्ट तैयार करने से विवाद पैदा हुआं है। अतः अप्रार्थीगण की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थी / वादी का प्रार्थन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज किये जाने के आदेश फरमाया जावे।

7. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबंदी सं0 2069—72, नकल गिरदावरी, नकल नक्शा ट्रेस, मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का पेश की।

8. बहस सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अनुसरण किया गया।

9. प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के लिये तीन आवश्यक विचारणीय बिन्दुओं पर गौर किया गया है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उद्धृत करते हुए निवेदन किया कि वाद वर्णित भूमि हाल खसर नम्बर 87 रकबा 2.45 है. मौजा खेड़ला में अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 4 ने मिलकर भूमि को कृषि के रूप में काम न लेकर उक्त जमीन को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए किस्म परिवर्तित कर इस खसरा नम्बर की भूमि का गैर कृषि कर अवैध रूप से पक्की डामर की सड़क बनाकर एवं प्लाटिग के पत्थर लगाकर इस खसरा नम्बर की भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है। जिसका अप्रार्थीगण / अनावेदकगण को कोई हक नही है। अप्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी कानुन के प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तो को भंग किया है। बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है। जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआं है।

अप्रार्थीगण ने स्वयं प्रार्थना पत्र के जवाब में उल्लेखित तथ्यों को उद्धृत करते हुए तर्क किया भूमि खसरा नम्बर 87 कुल रकबा 2.45 है. कोई परिवर्तन नही रखा है। अप्रार्थी ने भूमि खसरा नम्बर 87 में कोई सिमेंटेंड रोड़ व पीलर नही कर रखा [illegible] ना ही कोई निर्माण कार्य कर रखा है। अप्रार्थी ने उक्त भूमि [illegible] प्लाटिग नही कर रखी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:31:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी [illegible]

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों व टिनेन्सी की शर्तो को भंग किया एवं बिना सहपरिर्वत के आदेश के भूमि कि किस्म परिवर्तन किया है। अप्रार्थी ने भूमि का कोई किस्म परिवर्तन किया है। तथा ना ही राजस्थान काश्तकारी सरकार को राजस्व हानि का नुकसान नही किया है।

प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि वाद वर्णित भूमि हाल खसर नम्बर 87 रकबा 2.45 है. अनावेदकगण की खातेदारी भूमि है। तहसीलदार सूरजगढ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थीगण विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तथा प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजात व साक्ष्य तथा मौके की फोटो आदि प्रस्तुत नही किया है जिससे यह साबित हो सके की अप्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित की है। यदि अप्रार्थीगण द्वारा वाद वर्णित भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित कर रखा था तहसीलदार (प्रार्थी) जो लैण्ड हौल्डर है उसको तत्समय ही राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 90ए में कार्यवाही की जानी थी।

फिर भी तहसीलदार द्वारा लैण्ड हौल्डर की हैसियत से इस न्यायालय में धारा 177 एलआर एक्ट में प्रकरण प्रस्तुत किया है ऐसे में अनावेदकगण को वाद वर्णित भूमि पर बिना किसी सक्षम अधिकारी की इजाजत के भूमि कृषि से अकृषि में परिवर्तन करने का अधिकार नही है।

निष्कर्ष – अतः न्यायालय अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए आवश्यक तीनों बिन्दुओं पर गौर करने पर यह निष्कर्ष पर पहुचा है कि वाद वर्णित भूमि हाल खसर नम्बर 87 रकबा 2.45 है. पर अप्रार्थीगण द्वारा रकबा 1.50 है. भूमि पर कृषि से अकृषि परिवर्तन कर अवैध रूप से प्लाटिंग कर रहा हैं जिससे राजस्व हानि हुई है। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जबाव के अनुसार वाद वर्णित भूमि पर मौके पर किसी प्रकार का निर्माण या प्लाटिंग की जा रही है। यदि अप्रार्थीगण द्वारा वाद वर्णित भूमि में से 1.50 है. पर बिना संपरिवर्तन करवाये अवैघ रूप से प्लाटिंग या निर्माण कर रहा है तो तहसीलदार द्वारा मौके का स्वयं निरीक्षण कर अप्रार्थीगण के विरूद्व धारा 90 ए की कार्यवाही की जाकर वसूल की कार्यवाही की जाने थी। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जबाव में अंकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:31:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

Scanned with CamScanner

किया है कि वे भूमि रूपान्तरण सक्षम अधिकारी करने के लिए विचार रखता है। ऐसी स्थिति में यह आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के विरूद्व स्वीकार योग्य है।

अतः अप्रार्थीगण को आदेर्शित किया जाता है कि वे सक्षम अधिकारी से वाद वर्णित भूमि का रूपान्तरण करवाया जावे। बिना रूपान्तरण करवाये भूमि का कृषि से अकृषि परिववर्तित नही करे। न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा पोषणनीय नही से खारीज किया जाता है।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
सूरजगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:31:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner